न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 50/2012 (राजसमन्द डिकी)

1. उदयराम पिता प्रताप जी कुमावत, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भेरूलाल पिता वेणा जी कुमावत, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती केसी बेवा वेणा जी कुमावत, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. उदयराम पिता प्रताप जी माली, निवासी पनोतिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रामलाल पिता पेमा जी कुम्हार, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शंकर पिता पेमा जी कुम्हार, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. अम्बालाल पिता परथु जी कुम्हार, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. पन्नालाल पिता परथु जी कुम्हार, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. सुन्दरबाई बेवा हीरालाल जी कुम्हार, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. जयप्रकाश पिता हीरालाल जी कुम्हार जी कुमावत, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुन्दरबाई बेवा हीरालाल जी कुम्हार, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. भंवरलाल पिता तारूलाल जी दशोरा, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :—

1/1. शम्भूलाल पिता भंवरलाल जी दशोरा, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. योगेश पिता भंवरलाल जी दशोरा, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. सुशीला पिता भंवरलाल जी दशोरा, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. लाली उर्फ उषा पिता भंवरलाल जी दशोरा, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. सरोजदेवी पिता भंवरलाल जी पत्नी पुरूषोत्तमलाल जी दशोरा, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/6. गुड्डी उर्फ पुष्पा पिता भंवरलाल जी पत्नी ललित शंकर जी दशोरा, निवासी मकान नंबर 10, दशोरों की गली, मोती चोहट्टा, उदयपुर।

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा, दिनांक 16—04—2010
प्रकरण संख्या 120/2010 वाद पत्र

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1— श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2— एस०के० मेहता अभिभाषक रेस्पो०सं० 1, 2, 3, 5, 8

———::———

निर्णय **दिनांक 16—11—2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बैठुम्बी में आराजी चाह नंबर 952 रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी चाह वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार

अंकित होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त कुंआ गाबलो कुडा नाम से जाना जाता रहा है, जिसके साबिक आराजी नंबर 623 रकबा 2 बिस्वा होकर प्रतिवादी संख्या 4 के पिता का 1/2 हिस्सा होकर वादीगण के पूर्वाधिकारी पेमा एवं परथु कुम्हार का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा दर्ज था। अभी हुई गत पैमाईश में यह उक्त आराजी चाह वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित हो गयी। उक्त कुंए में पानी नहीं होने से समतल हो गया, जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मिलकर इसी चाह के पास ही नया कुंआ खुदवाया। आराजी चाह नंबर 952 आराजी संख्या 951 के क्षेत्रफल में था और यह नया कुंआ आराजी नंबर 951 में खोदा गया। इस नये कुंए को खुदवाने के व्यय की आधी रकम 2750/– रूपये प्रतिवादी संख्या 4 से लेकर आधा हिस्सा उसे बेच दिया। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने खेतों की पिलाई हेतु आराजी नंबर 951 की जमीन में पाईप गाडकर अपनी आराजी तक पाईप लाईन पहुंचायी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने–अपने हिस्सेनुसार इस नये कुए का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। इस कुंए पर विद्युत मोटर वादी संख्या 1 ने बैंक से लोन लेकर लगवायी, परन्तु पानी की कमी से विद्युत संबंध विच्छेद कराया गया। अब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में बदनियती आ जाने से बाधा उत्पन्न करते हैं। अतएवं आराजी नंबर 951 में खोदे गये कुंए में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रकरण में खण्डन का विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा वादी के स्वत्व व खातेदारी की भूमि होने एवं सिंचाई होने इत्यादि का निषेध किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात भी कायम की गयी तथा प्रकरण वादी की साक्ष्य में विचाराधीन था। इसी दौरान दिनांक 30–03–2010 को उभयपक्षों के वकीलों ने राजीनामा होने की संभावना जाहिर की तथा दिनांक 29–03–2010 के राजीनामे पर न्यायालय में दिनांक 16–04–2010 को उभयपक्षों की उपस्थिति में आदेशिका पर हस्ताक्षर होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री करते हुए हस्ब राजीनामा एवं अन्य पक्षकारों का भी स्वत्व घोषित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय 16–04–2010 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–09–2012 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। उनसे राजीनामा यह कहकर करवाया गया कि इस कुंए में अपीलान्ट का 3/4 हिस्सा रहेगा एवं वादीगण का 1/4 हिस्सा रहेगा। अपीलान्ट को राजीनामे की ईबारत पढ़कर नहीं समझायी गयी। अपीलान्ट ने कुंए पर विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपील देरी से पेश करने का पर्याप्त एवं उचित कारण है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में राजीनामा दिनांक 29–03–2010 पर अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्तागणों के हस्ताक्षर हैं तथा न्यायालय आदेशिका पर भी हस्ताक्षर हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजीनामें के आधार पर डिक्री किया गया है तथा न्यायालय आदेशिका पर स्पष्ट रूप से पक्षकारों द्वारा राजीनामे पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यदि उनके अधिवक्ताओं द्वारा उन्हें राजीनामें की ईबारत नहीं समझायी गयी है तो उनके द्वारा अधिवक्तागणों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी, इस बाबत् कोई कथन पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतएवं यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट के राजीनामें पर धोखा–धड़ी पूर्वक हस्ताक्षर करवाये गये हैं। राजीनामा होने के करीब 2½ वर्षो बाद अपील प्रस्तुत करने हेतु हुए विलम्ब का जो आधार लिया है वह न तो उचित है न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 5 व 8 की ओर से वकील श्री एस. के. मेहता उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने वाद राजीनामें के आधार पर डिक्री नहीं होने तथा धोखा–धड़ी से हस्ताक्षर करवाये जाने आदि के तथ्य लेते हुए अपील पेश की है।

→ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद राजीनामें के आधार पर डिक्री किया गया है तथा उस राजीनामें पर अपीलान्टगण के विधिक सलाहकार एवं स्वयं अपीलान्टगण के भी हस्ताक्षर हैं तथा न्यायालय आदेशिका पर भी सभी के हस्ताक्षर हैं। उक्त राजीनामें के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में लाई नहीं होती है। जहां तक राजीनामें की विधिकता का प्रश्न है, राजस्व न्यायालय की उक्त बिन्दु पर क्षेत्राधिकारिता नहीं है, इस बाबत् सक्षम न्यायालय से ही चाराजोही कर दाद पायी जा सकती है, जैसाकि कि वकील रेस्पोन्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2011 पेज 66, ए.आई.आर. 2011 पेज 64 एवं ए.आई.आर. 1970 पेज 176 में प्रतिपादित सिद्धान्तों से भी सुस्पष्ट है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट की अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद है तथा राजीनामा डिक्री के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की गयी जिसकी विधकता नहीं है, न ही इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16—04—2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16—11—2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास .... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

उदयराम पिता प्रताप जी कुमावत, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

उदयराम पिता प्रताप जी माली, निवासी पनोतिया, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं...........**50/2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**रेलमगरा**....... मुकाम...............मुवर्खे..........**16**...............माह.............**04**.............**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**16**......माह........**11**.......सन् **2017** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अक्षय पालीवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री एस. के. मेहता**.......

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–04–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**16**......माह.......**11**...........**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।